CANCELLED CANCELLED

(179)

समक्ष,न्यायालय म.प्र.राजस्व मंडल ग्वालियर

पुनरीक्षण याचिका कमाक निगरानी-5958/2018/मंडला/भू.रा.

1 सुभाष चंद जैन पिता स्व उत्तमचंद जैन

(697)

2. सुनील कुमार जैन पिता उत्तम चंद जैन

निवासी पिंडरई तह.नैनपुर जिला मंडला याचिकाकर्ता

श्री ... अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुतकार ... राजस्व मंडल
24 SEP 2018
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर ...

विरूद्व

1 श्रद्वा जैन द्वारा संरक्षक मां मीना जैन पति अनील जैन

2. अनील जैन पिता स्व. उत्तम चंद जैन

निवासी पिंडरई तह.नैनपुर जिला मंडला प्रत्याथीगण

पुनरीक्षण याचिका

पुनरीक्षकण याचिकाः– धारा 50 सहपठित धारा 8 म.प्र. भू राजस्व संहिता के अंतर्गत

यह पुनरीक्षण याचिका मान.न्यायालय के समक्ष तहसीलदार नैनपुर जिला मंडलाके न्यायालय के राजस्व प्रकरण 44/अ–6/2/2017–2018 में पारितआदेश दिनांक 17–07–2018 से व्यथित होकर निम्निलिखित याचिका प्रस्तुत कर रहें हैंः–

याचिका के तथ्यः–

1. प्रकरण का सारांश यह है कि प्रत्यार्थी क. 1श्रीमति मीना जैन पति अनील कुमार जैन के द्वारा न्यायालय तहसीलदार नैनपुर जिला मंडला समक्ष इस आसय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि अंगूरी जैन की मृत्यु दिनांक 15–02–2010 को गई है। स्व. अंगुरी जैन के नाम पर ग्राम तुईयापानी पा.ह.नं. 09 में स्थित भूमि खं. नं. 366 रकवा 1.48 हैक्टेयर जमा 3.90 रू.स्व. अगूरी जैन के स्थान पर श्रद्वा जैन का नाम पर गोदनामा के आधार पर नामातंरण किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार के द्वारा दिनांक 09–03–2018 को प्रकरण दर्ज किया किया जा कर इश्तहार का प्रकाशन,आवेदक साक्ष्य हेतु नियत कर ,हल्का पटवारी से प्रतिवेदन बुलाये जाने के आदेश पारित किया गया। जिसे विवादित भूमि से संबोधित किया जा रहा है।

2. यह कि श्रद्वा जैन की ओर से मीना जैन के द्वारा अनुविभागीय दंडाधिकारी नैनपुर के समक्ष नवनीत तिवारी उर्फ शेरू, पुनरीक्षकण क. 2 सूनील जैन,सचीन जैन एवं शैलू जैन के विरूद्व विवादित भूमि के संबंध में धारा 145 भारतीय दंड प्रकिया संहिता का प्रकरण प्रस्तुत किया गया। नोटिस जारी कर याचिककर्ता क 2 एवं अन्य को दिनांक 05–09–2018 को न्यायालय में उपस्थित होने आदेशित किया गया। दंडिक प्रकरण में प्रत्यार्थी क.1 के द्वारा

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-5958/2018/मंडला/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25/02/2019	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री गणेश प्रसाद मुदगल उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 30.04.2019 को कलेक्टर, जिला मंडला के समक्ष उपस्थित हों। सदस्य **कलेक्टर जिला मंडला**	